उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ

पत्रांक– 25583 /ऋण/एनबीसीएफडीसी/17–18 दिनांक–**06.10.2017**

समस्त शाखा प्रबंधक,
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

विषयः–एनबीसीएफडीसी योजना के अन्तर्गत वितरित ऋण की सूचना के सम्बंध में।

आप अवगत ही है कि मार्च 2014 से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा दी गयी वित्तीय सहायता/ऋण से उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों को न्यूनतम ब्याजदर पर बैंक द्वारा ऋण वितरण किया जा रहा है। एनबीसीएफडीसी की विशेष योजनाओ में वितरित ऋण की समीक्षा करने एवं शाखा प्रबन्धकों की बैठक में पाया गया कि इन विशेष योजनाओं की वसूली अत्यंत ही असंतोषजनक है, साथ ही देय किश्तों की मांग अधिकांशतः त्रैमासिक या छमाही लगायी गयी हैं जबकि बैंक मुख्यालय द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशानुसार इन विशेष योजनाओं मे उद्देश्यानुसार वसूली किश्तें मासिक या त्रैमासिक आधार पर लगाते हुये शत प्रतिशत वसूली करने के निर्देश जारी किये गये हैं।

अतः सूचित किया जाता है कि एनबीसीएफडीसी की योजनाओ में योजना के प्रारम्भ से तातारीख वितरित ऋण एवं वसूली की सूचना संलग्न प्रारूप पर लाभार्थीवार प्रत्येक दशा में बैंक मुख्यालय के ऋण अनुभाग में दिनांक 16.10.2017 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें, इन विशेष योजनाओं में वितरित–ऋणों की किश्तें ऋण उद्देश्यानुसार मासिक या त्रैमासिक लगाकर शत प्रतिशत वसूली करना भी सुनिश्चित किया जाएं।

संलग्न :– प्रारूप।

ह0/–

(आर0 बी0 गुप्ता)
मुख्य महा प्रबंधक(प्रशा0/ऋण)

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उप महाप्रबन्धक (कम्प्यूटर) उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ को बैंक की ई–मेल पर अपलोड करने हेतु।
2. समस्त मण्डलीय पर्यवेक्षक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि आवंटित मण्डल की शाखाओं से सूचना समयान्तर्गत भिजवाने एवं देय किश्तों की शत–प्रतिशत वसूली हेतु अनुश्रवण करने का कष्ट करें।
3. योजनाधिकारी, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

ह0/–
(आर0 बी0 गुप्ता)
मुख्य महा प्रबंधक(प्रशा0/ऋण)